डापोक सं.- 139

Date - 9/1/24

अनुसूची २१-प्रपत्र संख्या ११२।

सम्पत्ति अबभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं० 115 २०24 आवेदन सं० 115 २०24

। चूंकि श्री Autho. Shiv Shakti Construction Builders & Developers Dhanbad ने इस बात का आवेदन किया है कि ... संपत्ति के सम्बन्ध में निबंधित संव्यवहारों का और अभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

। इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अभारों के बारे में बही १ में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता. 2022 से ता. till date तक तलाश की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अभारों का पता चला है।

क्रम सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द II	पृष्ठ	४५
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	Mouza no - 23, Baramuri, Khata no - 29 (old), 220 (new) RS plot no - 102 & 103, CS plot no - 123, Area 9.69 Decimal							
	Nil							

Bidyut Roy

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) १. बंधक-पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें; बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

२. पट्टा की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

SHIV SHAKTI CONSTRUCTION

Rajesh Kumar

PARTNER

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर)- [signature]

(पदनाम) - clerk

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर)- [signature]

(पदनाम) - clerk

कार्यालय Dist Sub Registrar Dhanbad

मुहर जिला अवर निबंधक
सत्यमेव जयते
धनबाद

तारीख 9/11/24

[signature]

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं व आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो ऐसी दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करना होगा। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियां और अनुक्रमणियां उनके सामने रख दी जायेंगी।

क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा :

ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा पढ़े गये सव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न किये गये ऐसे सव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पति पर प्रभाव पड़ता हो।

Bidyut Roy

Search made by me
Bidyut Roy